निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : 89/2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, अल्मोड़ा, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, अल्मोड़ा के माह 01/2015 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत् श्रीवास्तव एवं श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.2016 से 05.11.2016 तक श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा** श्री विनीत निगम एवं श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.01.2015 से 22.01.2015 तक श्री रणवीर सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2011 से 12/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2015 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** इकाई द्वारा डिपॉजिट कार्य कराया जाता है अर्थात् ग्राहक विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. किया जाता है। कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदारों से किये गये बाण्ड के आधार पर कार्य कराया जाता है। कार्यों हेतु ग्राहक विभाग द्वारा समय–समय पर राशि अवमुक्त की जाती है। इस इकाई के अधिकार क्षेत्र में अल्मोड़ा के 04 ब्लॉक आते हैं जिनके अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों को सम्पादित किया जाता है।

(ii) **विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**गैर स्थापना**		**स्थापना**		**व्यय ` आधिक्य (+)**	**बचत (-) `**
	स्थापना `	**गैर स्थापना `**	**आवंटन `**	**व्यय `**	**आवंटन `**	**व्यय `**		
2013-14	-	-	155.25	150.46	-	-	-	4.79
2014-15	-	-	190.11	185.38	-	-	-	4.73
2015-16	-	-	183.40	174.83	-	-	-	8.57

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय ` आधिक्य (+)	बचत (-) `
2013-14		.....शून्य.....			
2014-15					
2015-16					

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(iii) **इकाई को बजट** आवंटन (स्रोत बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ग्राहक विभाग से राशि प्राप्त करता है तथा 'अ' **श्रेणी** (जिस श्रेणी के अंतर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) **की है।** विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है।

1. सचिव,
2. मुख्य अभियंता
3. अधीक्षण अभियंता
4. अधिशासी अभियंता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी **अभियंता,** ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, अल्मोड़ा एवं लेखापरीक्षा विधि लेनदेन की लेखापरीक्षा (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा–निर्देशों के अनुसार जिन–जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हे अंकित किया जाय) **को आच्छादित किया गया।** समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता,** ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016 एवं 11/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। 1. तहसील जैती के अनावासीय भवनों का निर्माण 2. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैती अल्मोड़ा 3. काफलीखान भनौली दसौला मुख्य मोटर मार्ग 4. अल्मोड़ा बागेश्वर मुख्य मोटर मार्ग के बुलकानी से ग्राम घुरसों तक 5. गणानाथ मोटर मार्ग से ग्राम थापला तक मोटर मार्ग 6. जैती पीपली मुख्य मोटर मार्ग से तल्ला भट्यूडा मोटर मार्ग 7. अल्मोड़ा पिथौरागढ मोटर मार्ग से ग्राम पूनाकोट तक मोटर मार्ग का निार्मण 8. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी अल्मोड़ा 9. तहसील जैती के अवासीय भवनों का निर्माण का विस्तृत विशलेषण किया गया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय राशि तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन किया गया के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो 'अ'

.....शून्य.....

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर–1 विभाग द्वारा मोटर मार्ग के स्टेज–1 के कार्यो में त्रुटिपूर्ण आगणन के कारण रू 14.36 लाख का अतिरिक्त मद का भुगतान तथा रू 65.71 लाख की भिन्नता का व्यय बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किया जाना।

प्रस्तर 2- पंद्रह कार्यों की स्वीकृत लागत रु 5.97 करोड़ के सापेक्ष पूर्ण धनराशि अवमुक्त होने के बावजूद 11 से 18 माह से अपूर्ण रहना एवं रु 1.85 करोड़ की धनराशि इस अवधि से अवरुद्ध रहना।

<u>भाग-III</u>

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
74 / 1991–92	2	00
46 / 1997–98	1, 2, 3	00
48 / 1998–99	1, 2, 3	00
35 / 2005–06	1	1, 2, 3, 4, 5
30 / 2009–10	–	1
54 / 2011–12	– 1991–92 से लेकर 1198–99 तक के प्रस्तर कमेटी को प्रेषित किया गया था, जिसमें से 09 / 1995–96 के प्रस्तर निस्तारित किये गये थे शेष प्रस्तर यथावत है।	1

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या विभाग द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को संस्तुति हेतु प्रेषित की गई है, जिसके अनुमोदनोपरान्त ही लेखापरीखा द्वारा विचार किया जा सकेगा।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

इकाई द्वारा अधिकांश कार्यों को एम.ओ.यू. एवं बाण्ड के अंतर्गत किया जा रहा है।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**

(i) शून्य

(ii)

(iii)

2. **सतत् अनियमितताएः-** शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
i	श्री आशुतोष कुमार	अधिशासी अभियंता	जनवरी 2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)

भाग 2– ब

प्रस्तर–1 विभाग द्वारा मोटर मार्ग के स्टेज–1 के कार्यो में त्रुटिपूर्ण आगणन के कारण रू 14.36 लाख का अतिरिक्त मद का भुगतान तथा रू 65.71 लाख की भिन्नता का व्यय बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किया जाना।

शासनादेश सं0 45/XII-2/2015/02(04) /15 दिनॉक 17 मार्च 2015 द्वारा ग्रामीण सडकें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत स्टेज–1 के कार्यो (अर्थात भूमि की लागत एवं रोड कटिंग आदि के सम्बन्ध में) हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्ष 2015–16 में ग्रामीण सडकों के निर्माण हेतु अनुदान सं0–19 के अन्तर्गत आयोजनागत मद में राज्य आकस्मिकता स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0–83/XII-2/2015/83(04)2014 दिनॉक 03 जुलाई 2015 एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण उत्तराखण्ड देहरादून के प0सं0/ग्रा0नि0वि0/ग्रामीण सडके एवं ड्रेनेज विभाग/2015–16 दिनांक 05 नवम्बर 2015 में प्राप्त मांग में दर्शायी गयी सडकों हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को समय–समय पर उक्त कार्यो हेतु धनराशि निर्गत की गयी थी। जिसकी स्थिति निम्नवत थी–

क्रम सं0	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं0	अनुबन्ध की राशि	आगणित राशि	प्राप्त राशि
1	काफलीखान–भनौली–दसौला मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम बडियार मोटर मार्ग के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 2.4 कि0मी तक मोटर मार्ग का निर्माण	(1) 193/ईई/आरडब्लूडी दिनॉक 19/2/16 (2) 195/ ईई/आरडब्लूडी दिनॉक 20/2/16	17.78 लाख 20.27 लाख	72.92 लाख	88.68 लाख
2	अल्मोडा बागेश्वर मुख्य मोटर मार्ग के बुलकानी से ग्राम घुरसो तक 2.775 कि0मी0 तक मोटर मार्ग का निर्माण	(1) 194/ईई/आरडब्लूडी दिनॉक 19/2/16 (2) 196/ ईई/आरडब्लूडी दिनॉक 20/2/16	19.48 लाख 16.67 लाख	68.71 लााख	91.94 लाख
3	अल्मोडा–पिथौरागढ मोटर मार्ग से ग्राम सभा पूनाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण	(1) 190/ईई/आरडब्लूडी दिनॉक 19/2/16 (2) 191/ईई/आरडब्लूडी दिनॉक 19/2/16 (3) 199/ ईई/आरडब्लूडी दिनॉक 20/2/16 (4) 200/ ईई/आरडब्लूडी दिनॉक 20/2/16	20.94 लाख 17.68 लाख 17.99 लाख 21.11 लाख	139.49 लाख	136.40 लाख

उक्त कार्यो के लेखाअभिलेखों के निरीक्षण में पाया गया कि काफलीखान मोटरमार्ग में स्टेज–1 के कार्यो में अनुबन्ध सं0 193 में रू 2.16 लाख के देयक के विपरीत रू 1.95 लाख (कुल भुगतान का 90 प्रतिशत) तथा अनुबन्ध सं0 195 में रू 14.47 लाख के देयक के विपरीत रू 11.56 लाख (कुल भुगतान का 80 प्रतिशत) का भुगतान अतिरिक्त मदों (Extra Item) के अन्तर्गत किया गया । इसी प्रकार अल्मोडा बागेश्वर मुख्य मोटर मार्ग के बुलकानी से ग्राम घुरसो में स्टेज–1 के कार्यो में अनुबन्ध सं0 194 में रू 88 हजार के देयक के विपरीत रू 85,788/– (कुल भुगतान का 97 प्रतिशत) का भुगतान अतिरिक्त मदों (Extra Item) के अन्तर्गत किया गया। यह ऐसी अतिरिक्त मदें थी। जिनकों विभाग द्वारा न तो आगणन में शामिल किया गया था और न ही अनुबन्ध में शामिल किया गया था। साथ ही अल्मोडा–पिथौरागढ मोटर मार्ग से ग्रम सभा पूनाकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण में अनुबन्ध सं0 190 में रू 14.02 लाख के देयक की मदों में रू 11.57 लाख की बचत एवं रू 4.65 लाख की

आधिक्य की भिन्न्ता प्रस्तुत की गयी थी। यह भिन्नता कुल देयक की राशि के अनुपात में बचत में 82 प्रतिशत तथा आधिक्य में 33 प्रतिशत की थी। अनुबन्ध सं0 191 में रू 13.77 लाख के देयक की मदों कें भुगतान में रू 11.95 लाख की बचत एवं रू 8.04 लाख की आधिक्य की भिन्नता प्रस्तुत की गयी यह भिन्नता कुल देयक की राशि के अनुपात में बचत में 28 प्रतिशत तथा आधिक्य में 56 प्रतिशत की थी। अनुबन्ध सं0 199 में रू 24.98 लाख के देयक की मदों कें भुगतान में रू 6.90 लाख की बचत एवं रू 13.89 लाख का आधिक्य की भिन्नता प्रस्तुत की गयी यह भिन्नता कुल देयक की राशि के अनुपात में बचत में 28 प्रतिशत तथा आधिक्य में 56 प्रतिशत की थी। अनुबन्ध सं0 200 में 20.25 लाख के देयक की मदों के भुगतान में रू 4.79 लाख की बचत एवं रू 3.92 लाख का आधिक्य की भिन्नता प्रस्तुत की गयी यह भिन्नता कुल देयक की राशि के अनुपात में बचत में 24 प्रतिशत तथा आधिक्य में 19 प्रतिशत की थी। तथा इस भिन्नता का भिन्नता विवरण 20 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद भी सक्षम प्राधिकारी अर्थात अनुबन्ध किये गये अधिकारी से उच्च प्राधिकारी द्वारा भी नहीं करवाया गया।

उक्त कार्यो के सम्बन्ध में विभाग से पूछे जाने पर कि यदि अतिरिक्त मदों पर इतने अधिक प्रतिशत का व्यय किया जाना आवश्यक था तो उसको आगणन और अनुबन्ध तैयार करते समय शामिल क्यों नहीं किया गया। तथा इतने अधिक प्रतिशत का भिन्नता विवरण प्रस्तुत किये जाने तथा बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के भिन्नता विवरण का भुगतान किये जाने का क्या कारण था। विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि अतिरिक्त मदों के अन्तर्गत व्यय का भुगतान तथा भिन्नता विवरण का भुगतान करते समय भविष्य में विशेष ध्यान दिया जायेगा था तथा आगणन तैयार करते समय कार्य की वास्तविक मात्रा का सही आंकलन करने हेतु समस्त सहायक अभियंताओं को निर्देशित कर दिया जायेगां।

विभाग का उत्तर स्वतः इस बात की पुष्टि करता है कि विभाग द्वारा आगणन तैयार करते कार्य की वास्तविक मात्रा का सही आकलन नहीं किया गया । जिससे विभाग द्वारा मोटर मार्ग के स्टेज–1 के कार्यो में त्रुटिपूर्ण आगणन के कारण रू 14.36 लाख का अतिरिक्त मद का भुगतान का न केवल व्यय किया गया बल्कि रू 65.71 लाख की भिन्नता का व्यय का भुगतान बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये गये।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2– ब

प्रस्तर 2 - पंद्रह कार्यों की स्वीकृत लागत रु 5.97 करोड़ के सापेक्ष पूर्ण धनराशि अवमुक्त होने के बावजूद 11 से 18 माह से अपूर्ण रहना एवं रु 1.85 करोड़ की धनराशि इस अवधि से अवरुद्ध रहना।

उत्तराखंड शासन द्वारा कार्यों के लिए निर्गत की गई धनराशि के आवंटन प्रपत्रों में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्गत धनराशि संबन्धित वर्ष में उपभोग कर ली जानी चाहिए तथा विभाग के संबन्धित शीर्ष मे नामे डाला जाना चाहिए।

इकाई के अभिलेखो की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तालिका-1 कार्यों पर शासन द्वारा संबन्धित विभाग को पूर्ण धनराशि आवंटित कर दी गई थी तथा संबन्धित विभाग द्वारा भी इस कार्यालय को पूर्ण धनराशि निर्गत कर दी गई थी। परंतु आगे अभिलेखों में पाया गया कि शासन द्वारा धनराशि के निर्गत वर्ष मे कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया था और धनराशि इस कार्यालय में अवशेष पड़ी थी। जिसका विवरण निम्न तालिका के अनुसार है:

तालिका-1

(धनराशि रु लाख में)

विभाग	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत लागत**	**अवमुक्त धनराशि**	**अंतिम किश्त की राशि/ दिनांक**	**सितंबर,16 तक व्यय**	**अवशेष धनराशि**
शिक्षा	1) GIC भनोली में Classrooms	133.50	133.50	118.50/ मार्च,15	57.32	76.18
	2)GIC देवीथल में Classrooms	73.33	73.33	58.33/ मार्च,15	54.42	18.91
	3) GIC गंगानगर में खेलमैदान	28.30	28.30	28.30/ मार्च,15	16.37	12.93
	4)राउमाँवि विरौडा में Classrooms	22.00	22.00	22.00/ मई, 15	13.26	8.74
	5) GIC पेटशाल में चाहरदीवार	19.12	19.12	19.12/ मई, 15	10.62	8.50
स्वास्थ्य	6) Sub-Centre भाटन्यालज्यूला	90.00	90.00	8.00/ फरवरी, 15	0.28	89.72
पशु	7) पशु सेवा केंद्र अंडोली	25.07	25.59	21.60/ अगस्त, 15	2.66	22.93
सांस्कृतिक	8) शहीद स्मारक स्थल लक्षमेश्वर	20.00	20.00	20.00/ सितंबर, 15	13.70	6.30
योग		**411.32**	**411.84**		**168.63**	**244.21**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आठ कार्यों में कुल स्वीकृत लागत रु 4.12 करोड़ के सापेक्ष पूर्ण धनराशि शासन द्वारा एवं ग्राहक विभाग द्वारा इस कार्यालय को अवमुक्त की जा चुकी थी। तथा कार्यों हेतु अवमुक्त अंतिम किश्त में उद्धृत दिशा निर्देशों के अनुसार क्रमांक 1), 2), 3) एवं 6) की राशि को वर्ष 2014-15 मे ही राज्य सरकार द्वारा संबन्धित विभाग के शीर्ष में नामे डाला जा चुका था और इसी प्रकार क्रमांक 4), 5), 7) एवं 8) की राशि को वर्ष 2015-16 मे ही राज्य सरकार द्वारा संबन्धित विभाग के शीर्ष में नामे डाला जा चुका था। जबकि अभिलेखों में पाया गया कि उपरोक्त कार्यों हेतु अतिथि तक स्वीकृत एवं आवंटित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत कार्यों पर मात्र रु 1.68 करोड़ ही व्यय किए गए थे तथा रु 2.44 करोड़ की धनराशि कार्यालय के पास अवशेष पड़ी थी। कार्यों हेतु पूर्ण धनराशि के अवमुक्त के समय से 12 से 19 माह का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया था।

इसी प्रकार तालिका-2 के अनुसार सात कार्यों के लिए पूर्ण धनराशि शासन तथा ग्राहय विभाग से इस कार्यालय को अवमुक्त की जा चुकी थी परंतु अतिथि (अक्टूबर 2016) तक न तो कार्य प्रारम्भ किए गए थे और न ही इन कार्यों पर कोई व्यय किया गया था।

तालिका-2

(धनराशि रु लाख में)

विभाग	**क्र स**	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत लागत**	**अवमुक्त कुल राशि / दिनांक**	**sep,16 तक व्यय**	**अवशेष धनराशि**
शिक्षा विभाग	1	BEO Office धौलादेवी	60.00	60.00/मार्च, 15	0.00	60.00
	2	राउमाँवि काफली में Classrooms	22.00	22.00/मई, 15	0.00	22.00
	3	GIC डीनापानी में चाहरदीवार	22.88	22.88/मई, 15	0.00	22.88
	4	PS मैचून में Classrooms	16.54	16.54/अक्तूबर, 15	0.00	16.54
	5	PS वलसूना में Classrooms	16.81	16.81/अक्तूबर, 15	0.00	16.81
	6	PS नैनी में Classrooms	15.17	15.17/अक्तूबर, 15	0.00	15.17
	7	JHS महरागाँव में कक्ष/चाहरदीवार	31.48	31.48/अक्तूबर, 15	0.00	31.48
Total			**184.88**	**184.88**	**0.0**	**184.88**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सात कार्यों में कुल स्वीकृत लागत रु 1.85 करोड़ के सापेक्ष पूर्ण धनराशि शासन द्वारा एवं ग्राहक विभाग द्वारा इस कार्यालय को अवमुक्त की जा चुकी थी और यह धनराशि 11 से 18 माह से अवरुद्ध थी।

उक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में पुछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि तालिका-1 के कार्यों में अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण की तिथि 2017 थी, कार्य पूर्ण हो चुका है अंतिम भुगतान किया जाना है एवं तालिका-2 के कार्यों में अवगत कराया गया कि भूमि बिलंब से प्राप्त होने के कारण अनुबंध बाद में गठित किए गये। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तर के समर्थन में लेखापरीक्षा को साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गये। चूंकि तालिका-1 के छोटे कार्य हैं एवं इनकी पूर्णता या अनुबंध की अवधि 12 से 18 माह की होती है। जबकि कार्य अंतिम निर्गत किश्त की धनराशि की अवधि से 11 से 18 माह से अपूर्ण थे और इन आठ कार्यों की रु 2.44 करोड़ की धनराशि कार्यालय के पास सितंबर 2016 तक अवशेष पड़ी थी एवं तालिका-2 के कार्यों की रु 1.85 करोड़ की धनराशि 11 से 18 माह से अवरुद्ध थी।। साथ ही आवंटन प्रपत्रों में जारी शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम निर्गत किश्त की धनराशि को वर्ष 2014-15/ 2015-16 तक उपभोग कर ली जानी थी तथा विभाग के संबन्धित शीर्ष मे नामे डाला जाना था।

इस प्रकार पंद्रह कार्यों की स्वीकृत लागत रु 5.97 करोड़ के सापेक्ष पूर्ण धनराशि अवमुक्त होने के बावजूद 11 से 18 माह से अपूर्ण थे एवं रु 1.85 करोड़ की धनराशि इस अवधि से अवरुद्ध थी।

अतः उक्त प्रकरण शासन के प्रकाश में लाया जाता है।